मीडिया के लम्बे होते हाथ और गहरी होती जेबें

मीडिया परम स्वतंत्र है। इसके हाथ बहुत लम्बे हैं। इसकी जेब बहुत गहरी है। इसका पेट बहुत बड़ा है। मीडिया के मैदान में होड़ाहोड भी बहुत है। प्रतिस्पर्धा के कारण इसकी भूख बढ़ गई है। इसे सनसनीखेज खबरों के दौरे पड़ते रहते हैं। ऐसे में क्या यह संभव है कि किसी महत्वपूर्ण खबर को राष्ट्रीय मीडिया बिलकुल दबा दे? परम स्वतंत्रता के दौर में ऐसा होना तो संभव नहीं लगता। पिछले दो महीने से भी अधिक समय से कांची पीठ के शंकराचार्य की गिरफ्तारी को लेकर मीडिया पर एक खास दौरा पड़ा था। मीडिया ने इस दौर में इसे उत्सव की तरह मनाया। आधुनिकता और सेक्युलरवाद के पूरे जोश में पीठ की प्रतिष्ठा-भंजन के लिए जब बुलेट न मिला तो एके-४७ से कंकड़ ही बरसा दिया। यह सिलसिला सर्वोच्च न्यायालय से शंकराचार्य को मिली जमानत तक चला। मीडिया ने सर्वोच्च न्यायालय से मिली जमानत को समुचित प्रचार-प्रसार दिया। परन्तु एक महत्वपूर्ण समाचार कथा को इसके पहले ऐसे दबा दिया, जैसे वह घटित ही नहीं हुई हो। आज भी वह खबर अस्तित्व में नहीं है। वह खबर है आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का एक याचिका पर की गई गम्भीर टिप्पणियां। यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण था और उसे पूरी तरह से दबा दिया गया। हुआ यह था कि जब कांची पीठ के शंकराचार्य के खिलाफ आलेखों के अम्बार लगा दिए गए और यहां तक कि एक कारखाने के परिसर में दो लड़कियों की मृत्यु से शंकराचार्य का नाम जोड़ दिया गया। कोई छह साल पहले की यह घटना है। प्रकाशित खबर में यह बताया गया था- ''पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रबंधकों के कुछ रिश्तेदार इसमें फंसे हुए थे। उसी समय मिल में जयेन्द्र सरस्वती आए हुए थे। उन्होंने पूजा और यज्ञ भी किया था। 'अफवाहें' यह भी थी कि उन लड़कियों की बलि दी गई।''

घटना छह साल पहले की। लड़कियों की बलि देने की बात को 'अफवाह' बताकर छापा और यह अफवाह छह साल बाद खबर के पंख लगाकर उड़ गई। अखबारों ने यह भी लिखा कि एक श्रमिक यूनियन इस सम्बंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। और उसने सचमुच याचिका दायर की। सेक्युलर मीडिया की यह कतरन याचिका की आधार बन गई। मामला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नरसिंहा रेड्डी के पास विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। न्यायमूति रेड्डी ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि याचिका में जयेन्द्र सरस्वती का नाम किस आधार पर डाल दिया गया? वकील ने तुरन्त माफी मांगी और याचिका में से उसको हटाने के लिए सहमत हो गया। मगर फिर भी याचिका में दूसरी जगह जयेन्द्र सरस्वती का नाम था। न्यायमूर्ति रेड्डी ने वकील से फिर वही पूछा और वकील ने फिर माफी मांग ली। साथ ही वकील ने याचिका को वापस लेने की अनुमति भी चाही। न्यायमूर्ति नरसिंहा रेड्डी ने धर्म क्या है, यह स्पष्ट करने के बाद ही याचिका को वापस लेने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति रेड्डी ने मीडिया को अच्छी भली फटकार लगाई और सलाह दी कि वह उसे छापे। लेकिन न तो याचिका के बारे में कुछ छपा और न मीडिया के धर्म के बारे में जो कुछ कहा था, वह छपा।

मीडिया ने उसे दबाया क्यों? इसका उत्तर न्यायमूर्ति नरसिंहा रेड्डी की टिप्पणियों में है। उन्होंने कहा कि कांची मठ के 'आचार्य' से सम्बंधित हाल की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से उत्तेजित होकर ही याचिका डाली गई लगती है। न्यायमूर्ति ने वर्णन करते हुए मठ के बारे मे कहा है कि 'यह संस्थान करीब पच्चीस सौ साल प्राचीन, प्रतिष्ठित, गौरवशाली और सम्मानित संस्थान है। उन्होंने कहा कि लगता है याचिकाकर्ता मीडिया के प्रचार के बहाव में बह गए। वह नहीं चाहते थे कि इस धार्मिक संस्थान की प्रतिष्ठा-भंजन के अभूतपूर्व अभियान की होड़ाहोड़ में वह पिछड़ जाएं। न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि ''यह अवसादपूर्ण और दुखद है कि ऐसा गौरवशाली संस्थान, जो विदेशी आक्रमणों और समाजिक क्रांतियों को झेलकर पच्चीस सौ साल तक बचा रहा, और आज स्वतंत्र देश में संगठित रूप से उस पर निशाना साधा जा रहा है।'' न्यायमूर्ति नरसिंहा रेड्डी उन तत्वों की पहचान भी की जो निशाना साध रहे हैं- ''न केवल कुछ लोग बल्कि कुछ संस्थान स्वयं राज्य और मीडिया इस पीठ को ध्वस्त करने के लिए आज संकल्पबद्ध लगते हैं।'' न्यायमूर्ति रेड्डी ने इसमें अदालतों को भी रगड़ा है- ''अदालतों की भूमिका भले ही अप्रत्यक्ष रही हो, लेकिन किसी भी तरह महत्वहीन नहीं है।''

न्यायमूर्ति रेड्डी ने मानवाधिकार से सम्बंधित संगठनों को भी लपेटे मे लिया- ''वह जो मानवाधिकारों, व्यक्तियों और संस्थानों के प्रति उचित व्यवहार की वकालत करते रहते हैं, आज अखण्ड मौन धारण किए खड़े हैं। न्यायमूर्ति आगे कहते हैं ''शक्तिशाली वर्ग या तो इसका उत्सव मना रहे हैं या उदासीन होकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आज मठ के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से देश शोक संतप्त है। शोक देश के बाहर भी है। न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि ''हर देश में कांची मठ जैसे कुछ संस्थान गौरव और विवेक के आधार बनते हैं। चाहे फिर सरकार किसी भी तरह की हो। उनका मान-सम्मान होता। लेकिन अगर ऐसे किसी संस्थान में कोई स्खलन होता है तो क्या किया जा सकता है? सुधीजन हर संभव प्रयास करते हैं कि उसे एकल रूप में देखें और संस्थान को बचा लें। विवेकहीन और अज्ञानी लोग एकल को बचाते हैं, संस्थान को नहीं। ऐसे अदूर-दृष्टि के कारण दीर्घावधि में समाज आत्म-विनाश की ओर बढ़ता है। स्थिति ज्यादा गम्भीर तब हो जाती है, जब लक्ष्य किए गए संस्थान वह हो जो देश के विवेक को धारण करता हो।

न्यायमूर्ति नरसिंहा रेड्डी ने इस अवसर पर याद किया कि कुछ समय पहले भारत के मुख्य न्यायधीश ने कहा था कि ''बड़ी संख्या में न्यायधीशों की प्रतिष्ठा शंका से परे नहीं है।'' न्यायमूर्ति रेड्डी ने कहा कि यह सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए लेकिन इसके कारण पूरी न्यायपालिका की भर्त्सना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि ''अब तक जयेन्द्र सरस्वती का जिस तरह मान मर्दन किया गया गया, उसकी तुलना संभव नहीं है। या तो सीधे-सीधे या घुमाफिरा कर कठोरतम भाषा का प्रयोग किया गया है। आज उनके साथ वैसा ही सलूक किया जा रहा है, जैसा कौरवों के दरबार में द्रौपदी के साथ किया गया था।'' न्यायमूर्ति ने कहा कि ''देश और समाज के बनाने और गढ़ने में आज धर्मिक संस्थानों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता।'' उन्होंने ''कानून अपना काम करेगा'' पर भी अपनी टिप्पणी की। उचित सम्मान के साथ कहा जा सकता है कि ''यह आंशिक रूप से सच नहीं है। यह तब सच हो सकता है जब अभियोजन पक्ष ईमानदारी से काम करे। गवाह सच्चे बयान दें। कानून के प्रावधान साफ साफ हों और न्यायधीश कुशल और ईमानदार हों। अगर अभियोजन पक्ष किसी एजेंसी या किसी सरकार की मनमर्जी पर निर्भर करते हों, अगर कानून कुछ व्यक्तियों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हों, अगर गवाह अपने बयान बदलते रहते हों और अगर न्यायकर्ता अपेक्षित स्तर के न हों तो ''कानून अपना काम नहीं करेगा।'' वह आगे कहते हैं कि जिस तरह से मुकदमें बनाए या वापस लिए जाते हैं और विशेष रूप से सरकार के बदलने पर और जिस तरह से गवाह सामने आते हैं और परस्पर विरोधी बयान देते और बदलते रहते हैं इससे यह साफ होता है कि ''कानून अपना काम नहीं करेगा।''

अपराध से सम्बंधित न्याय में मीडिया की भूमिका को रेखांकित करते हुए न्यायमूर्ति रेड्डी ने कहा कि ''इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की अतिरिक्त सक्रियता और अतिवादिता के कारण हाल के वर्षों में अभियोजन एजेंसी और मुकदमों की सुनवाई के मामले में अदालतों की क्षमता का क्षरण हुआ है।'' न्यायूर्ति रेड्डी ने कहा कि हाल के वर्षों में यह खतरनाक सीमा तक बढ़ गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरूपयोग किया जा रहा है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रेस की कतरनों के आधार पर हमारे यहां याचिका दी गई। यह इस बात का संकेत है कि किस दयनीय स्तर तक पत्रकारिता का पेशा गिर गया है।'' न्यायमूर्ति रेड्डी ने कहा कि 'एक बार तो अदालत ने सोचा कि अखबारों को और टीवी चैनलों को नोटिस किया जाए। लेकिन बाद में सोचा गया कि अगर सही संदेश दे दिया जाए तो परिणाम की अपेक्षा की जा सकती है। इसलिए यह नोटिस जारी नहीं किया गया। लेकिन मीडिया अगर इसी रास्ते पर चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि जब समाज में मीडिया को उसकी जगह बता दी जाए।'

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नरसिंहा रेड्डी ने यह जो टिप्पणियां की है वह सब शंकराचार्य के प्रकरण में ही है। पिछले ७० दिनों में शंकराचार्य से सम्बंधित समाचार कम से कम ३० बार सुर्खियों में रहे होंगे। छोटी से छोटी बात कभी सुर्खियां बन गईं। और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के इतने तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत किए गए समाचार को एक दम दबा दिया गया। यह कैसे संभव हुआ? क्यों संभव हुआ? क्या इसलिए कि इसमें स्वंय मीडिया को शर्मशार किया गया था? क्या इसलिए कि सेक्युलर मीडिया को रास नहीं आने वाली बातें कही गई थीं? क्या इसलिए इस खबर को दबा दिया गया कि कांची पीठ के गौरव और उसके विवेक स्तंभ होने की राष्ट्रीय भूमिका का उल्लेख उसमें है? क्या इसलिए इसे दबा दिया गया कि इसमें न्यायाधीश ने सरकार और मीडिया ही नहीं, एक हद तक न्यायपालिका के खिलाफ भी टिप्पणियां की है? या इसलिए आंध्र उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की आवाज को बीच में लोक लिया गया कि अगर नहीं लोकते तो कांची पीठ के बहाने देश को कमजोर करने वाला अभियान पंचर हो जाता?

निश्चय ही छह साल पहले की घटना और उससे जुड़ी अफवाह को खबर बनाने वाले और खबर के आधार पर याचिका देने के पीछे ट्रेड यूनियन का एक षड़यंत्री दिमाग काम कर रहा हो। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में इस नीयत से गए हों कि शंकराचार्य पर अदालती रास्ते से कुछ कालिख और पोती जाए और जब न्यायमूर्ति रेड्डी का रुख सामने आया तो माफी मांग कर याचिका वापस ले ली। लेकिन न्यायमूर्ति ने अपनी टिप्पणियां कर दीं। जिन लोगों ने षड़यंत्र किया था, उन्होंने इस महत्व की खबर को जहां के तहां रोकने के भी प्रबंध किया होगा।